अनुदान संख्या 35 - राजस्व विभाग
GRANT No. 35 - DEPARTMENT OF REVENUE

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	227548,22,00	314259,29,00	314132,74,52	-126,54,48
पूरक	Supplementary	86711,07,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				79,85,91
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	4,30,00	34,30,00	28,98,28	-5,31,72
पूरक	Supplementary	30,00,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				5,22,97

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुए :–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2052" सचिवालय – सामान्य सेवाएं	Major Head "2052" Secretariat - General Services				
मू.	O.	42462.00	35751.40	34576.08	-1175.32
पु.	R.	-6710.60			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2047"	Major Head "2047"				
अन्य राजकोषीय सेवाएं	Other Fiscal Services				
मू.	O.	65993.00			
पू.	S.	1.00	65297.89	64409.60	-888.29
पु.	R.	-696.11			
मुख्य शीर्ष "2070"	Major Head "2070"				
अन्य प्रशासनिक सेवायें	Other Administrative Services				
मू.	O.	6381.00			
			7201.36	6844.52	-356.84
पु.	R.	820.36			
मुख्य शीर्ष "2875"	Major Head "2875"				
अन्य उद्योग	Other Industries				
मू.	O.	39982.00			
पू.	S.	3711.00	42234.44	40035.82	-2198.62
पु.	R.	– 1458.56			

(I) छह शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹60.00 lakhs remained wholly unutilized under six heads.

(II) मुख्य शीर्ष "2875" – "अफीम तथा एल्केलाइड उद्योग" के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शायी गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा :–

(II) Supplementary grant obtained under Major Head "2875" - "Opium and Alkaloid Industries" - remained unutilized under the following heads to the extent as show against each :-

(का) "गाजीपुर एल्केलाइड वर्क्स – अन्य व्यय" – ₹3786.00 लाख के मूल प्रावधान को दिसम्बर, 2022 में ₹722.00 लाख पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹4508.00 लाख किया गया, जो, तथापि, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो द्वारा सूचित अफीम की कम कीमत के कारण ₹162.26 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(A) "Ghazipur Alkaloid Works - Other Expenditure" - the original provision of ₹3786.00 lakhs was augmented to ₹4508.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹722.00 lakhs in December, 2022 which, however, remained unutilised to the extent of ₹162.26 lakhs - due to lower cost of opium reported by Central Bureau of Narcotics.

(खा) "नीमच एल्केलाइड वर्क्स – अन्य व्यय" – ₹6461.00 लाख के मूल प्रावधान को दिसम्बर, 2022 में ₹2989.00 लाख पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹9450.00 लाख किया गया, जो, तथापि, प्रभारित अफीम की कम मात्रा होने के कारण ₹374.25 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(B) "Neemuch Alkaloid Works - Other Expenditure" - the original provision of ₹6461.00 lakhs was augmented to ₹9450.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹2989.00 lakhs in December, 2022 which, however, remained unutilised to the extent of ₹374.25 lakhs - due to less quantity of opium charged.

(III) मुख्य शीर्ष "2052" – "सचिवालय" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

(III) Under Major Head "2052" - "Secretariat" - savings occurred under the following heads:-

(का) "राजस्व विभाग" – ₹5659.99 लाख की बचत (₹27288.60 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कर नीति अनुसंधान एकक में रिक्त पदों को नहीं भरे जाने, विभाग का पुनर्गठन नहीं होने, माध्यस्थ मामले बंद होने के कारण व्यावसायिक सेवाओं के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने, कम टूर करने और कम संख्या में बैठकें करने के कारण हुई।

(A) "Department of Revenue" - saving of ₹5659.99 lakhs (against the sanctioned provision of ₹27288.60 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts in Tax Policy Research Unit, non-restructuring of the department, requirement of less funds towards professional services owing to closure of arbitration cases, less tours undertaken and less number of meetings.

(खा) "आयकर ओवरसीज एकक" – ₹669.75 लाख की बचत (₹1402.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को नहीं भरे जाने के कारण हुई।

(B) "Income tax Overseas Units" - saving of ₹669.75 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1402.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts.

(गा) "भारतीय वित्तीय आसूचना एकक (एफआईयू –आईएनडी)" – ₹1883.05 लाख की बचत (₹7039.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को नहीं भरे जाने, सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों की खरीद की प्रक्रिया पूरी नहीं होने और व्यावसायिक सेवाओं और टूर करने के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(C) "Financial Intelligence Unit of India (FIU-IND)" - saving of ₹1883.05 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7039.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-completion of process of information technology procurements and requirement of less funds towards professional services and tours undertaken.

(IV) मुख्य शीर्ष "2047" – "माल और सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) : विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) – जीएसटीएन में प्रयोक्ता शुल्कों का भुगतान" के अंतर्गत – ₹9848.00 लाख की बचत (₹23332.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के चलते हार्डवेयर के लंबे आपूर्ति चक्र के कारण सूचना प्रौद्योगिकी के लिए कम निधियों की आवश्यकता हुई।

(IV) Under Major Head "2047" - "Goods & Services Tax Network (GSTN): Special Purpose Vehicle (SPV) - Payment of user charges to GSTN" - saving of ₹9848.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹23332.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards information technology owing to long supply cycle of hardware owing to COVID-19 pandemic conditions.

(V) मुख्य शीर्ष “2875” – “अफीम और क्षाराभ उद्योग” के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

(का) “नीमच अफीम फैक्टरी” –

(क) “प्रबंधन” – ₹583.53 लाख की बचत (₹2776.58 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन और भत्तों के लिए कम निधियों की आवश्यकता, खसखस के भूसे के परिवहन और व्यावसयिक सेवाओं के बिल प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

(ख) “अफीम की खरीद” – ₹508.89 लाख की बचत (₹6220.60 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अफीम की खरीद के लिए कम निधियों की आवश्यकता हुई।

(खा) “नीमच क्षाराभ वर्क” –

(क) “प्रबंधन” – ₹1497.71 लाख की बचत (₹8522.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लंबिता और स्थापना संबंधी बिल प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

(ख) “मरम्मत और रखरखाव” – ₹1028.78 लाख की बचत (₹1095.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य पूरा नहीं किए जाने के कारण हुई।

(VI) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹281.25 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 15 प्रतिशत है।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹8950.84 लाख) प्रयुक्त हो गईं, जैसा कि मुख्य शीर्ष “2047” – “विदेशी मुद्रा विनियमन – प्रवर्तन निदेशालय” के तहत दिसंबर, 2022 में ₹1.00 लाख का

(V) Under Major Head “2875” - “Opium and Alkaloid Industries” - savings occurred under the following heads: -

(A) “Neemuch Opium Factory” -

(a) “Management” - saving of ₹583.53 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2776.58 lakhs) was due to requirement of less funds towards pay and allowances, transportation of poppy straw and professional services owing to non-receipt of bills.

(b) “Purchase of Opium” - saving of ₹508.89 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6220.60 lakhs) was due to requirement of less funds towards purchase of opium.

(B) “Neemuch Alkaloid Works” -

(a) “Management” - saving of ₹1497.71 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8522.00 lakhs) was due to pendency and non-receipt of establishment related bills.

(b) “Repairs and Maintenance” - saving of ₹1028.78 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1095.00 lakhs) was due to non-completion of work by Central Public Works Department.

(VI) Under one head saving of ₹281.25 lakhs occurred constituting 15 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (₹8950.84 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00

सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित किया गया था। हालाँकि, वास्तविक अधिक व्यय ₹8655.93 लाख हुआ।

lakh in December, 2022 under Major Head "2047" - "Regulation of Foreign Exchange - Enforcement Directorate". Actual excess, however, was ₹8655.93 lakhs.

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत भी अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित हो गईं :–

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2052" – "सचिवालय – केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो (सीईआईबी)" – ₹987.88 लाख का अधिक व्यय (₹1051.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय आर्थिक अपराध रिकॉर्ड (एनईओआर) परियोजना के पहले चरण के कार्यान्वयन और वेतन और भत्ते में वृद्धि के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(A) Major Head "2052" - "Secretariat - Central Economic Intelligence Bureau (CEIB)" - excess of ₹987.88 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1051.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards implementation of 1st phase of National Economic Offences Records (NEOR) project and increase in pay and allowances.

(खा) प्रमुख शीर्ष "2070" – "नारकोटिक्स नियंत्रण – केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो" – ₹723.55 लाख का अधिक व्यय (₹5152.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे जाने, नगरपालिका कर का भुगतान किए जाने, एनआईसीएसआई क्लाउड संसाधनों को किराए पर लेने, सॉफ्टवेयर की खरीद, सीबीएन पंजीकरण की मेजबानी करने और ई–ऑफिस के कार्यान्वयन के लिए एनआईसीएसआई को आउटसोर्सिंग परियोजना के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(B) Major Head "2070" - "Narcotics Control - Central Bureau of Narcotics" - excess of ₹723.55 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5152.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards filling up of vacant posts, payment of municipal tax, hiring of NICSI cloud resources, procurement of softwares, outsourcing project to NICSI for hosting CBN registration and implementation of e-office.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, समग्र बचतें (₹531.72 लाख) दिसंबर, 2022 में प्राप्त ₹3000.00 लाख के पूरक प्रावधान का 18 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 16 प्रतिशत थी।

3. In the capital section of the grant, the overall savings (₹531.72 lakhs) constituted 18 percent of the supplementary provision of ₹3000.00 lakhs obtained in December, 2022 and 16 percent of the total sanctioned provision.

बचत/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुए :–

Savings/excess occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत – Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4059" लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	1.00			
पू.	S.	3000.00	2684.60	2684.58	-0.02
पु.	R.	-316.40			

(I) छह शीर्षों के अंतर्गत ₹359.00 लाख का प्रावधान पूरी तरह अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹359.00 lakhs remained wholly unutilized under six heads.

(II) "कार्यालय भवन – तैयार निर्मित आवास का अधिग्रहण – प्रवर्तन निदेशालय के लिए तैयार निर्मित आवास का अधिग्रहण" के तहत – दिसंबर, 2022 में पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹2600.00 लाख रुपये की धनराशि प्रदान की गई थी, जो हालांकि, प्रवर्तन निदेशालय के जयपुर जोनल कार्यालय के लिए भवन प्राप्त करने के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण ₹306.54 लाख रुपये की सीमा तक अप्रयुक्त रही।

(II) Under "Office Buildings - Acquisition of Ready Built Accommodation - Acquisition of Ready Built Accommodation for Enforcement Directorate" - funds of ₹2600.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant in December, 2022 which, however, remained unutilised to the extent of ₹306.54 lakhs - due to requirement of less funds towards acquiring building for Jaipur Zonal Office of Enforcement Directorate.

4. मूल्यह्रास आरक्षित निधि – अफीम और क्षाराभ फैक्टरियाँ :–

4. Depreciation Reserve Fund - Opium and Alkaloid Factories: -

इन निधियों का गठन 1970–71 में छाराभ फैक्टरी की अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास वसूलने की व्यावसायिक प्रथा शुरू करने के लिए किया गया था। वर्ष के दौरान प्रत्येक कारखाने में उपयोग की गई परिसंपत्तियों के मूल्य पर गणना की गई मूल्यह्रास को इस अनुदान के प्रति डेबिट द्वारा इन निधियों में जमा किया जाता है। समय–समय पर निधि शेष पर ब्याज भी इस अनुदान के प्रति डेबिट द्वारा इन निधियों में जमा किया जाता है।

These funds were constituted in 1970-71 for introducing the commercial practice of charging depreciation on fixed assets of the Alkaloid Factories. Depreciation calculated on the value of assets used in each factory during the year is credited to these funds by per contra debit to this grant. Interest on the fund balances from time to time is also credited to these funds by per contra debit to this grant.

2022–23 के लिए मूल्यह्रास आरक्षित निधि का लेखा इस प्रकार था :–

Account of Depreciation Reserve Fund for 2022-23 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

		गाजीपुर Ghazipur		नीमच Neemuch	
		अफीम फैक्टरी Opium Factory	एल्केलाइड कार्य Alkaloid Works	अफीम फैक्टरी Opium Factory	एल्केलाइड कार्य Alkaloid Works
अथशेष	Opening Balance	13,46,93	16,81,03	12,20,30	31,15,23
प्राप्तियां	Receipts	16,50	40,00	50,00	45,00
जमा किया गया ब्याज	Interest Credited	36,05	49,82	42,39	1,01,24
अदायगियां	Payments	..	..	..	..
अंतशेष	**Closing Balances**	**13,99,48**	**17,70,85**	**13,12,69**	**32,61,47**

5. स्वापक दवाओं के दुर्व्यापार पर रोक लगाने के लिए राष्ट्रीय निधि :–

स्वापक दवाओं के दुर्व्यापार पर रोक लगाने के लिए राष्ट्रीय निधि की स्थापना 24 मार्च, 2006 को "स्वापक औषधि और मनरूप्रभावी पदार्थ अधिनियम" 1985 अधिनियमित किया गया था। सरकारी/स्वैच्छिक/अन्य संगठनों और संस्थानों के माध्यम से स्वापक पदार्थों और मनःप्रभावी पदार्थों के दुर्व्यापार से निपटने, जागरूकता सृजन, पहचान, परामर्श, उपचार और नशीली दवाओं के आदी लोगों के पुनर्वास सहित सेवाओं की पूरी श्रृंखला प्रदान करने के लिए भारत के सार्वजनिक खाते में इस निधि का गठन किया गया था।

केंद्र सरकार के लिए प्राप्त राशि (संसद द्वारा उचित विनियोग के बाद), अधिनियम के अध्याय V क के तहत जब्त की गई किसी भी संपत्ति की बिक्री आय, किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा दिया गया अनुदान और फंड में जमा की गई राशि के निवेश से कोई आय का अधिनियम की धारा 7 क में निहित उद्देश्यों के लिए फंड से उपयोग किया गया।

2022–23 के दौरान स्वापक दवाओं के दुर्व्यापार पर नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय निधि का खाता इस प्रकार था :–

5. National Fund for Control of Drug Abuse: -

The National fund for Control of Drug Abuse was established under the "Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act", 1985 enacted on 24th March, 2006. The fund was constituted in the Public Account of India to provide the whole range of services including combating illicit traffic in narcotic drugs & psychotropic substances, awareness generation, identification, counseling, treatment and rehabilitation of drug addicts through Government/ Voluntary/other organizations and institutions.

The amount received for Central Government (after due appropriation met by Parliament), sale proceeds of any property forfeited under chapter V A of the Act, grant made by any person or institution and any income from investment of amount credited to the fund and utilized from the fund for the purposes contained in section 7 A of the Act.

Account of National Fund for Control of Drug Abuse for 2022-23 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	31,33,94
प्राप्तियां	Receipts	5,23,02
अदायगियां	Disbursements	57,92
अंतशेष	Closing Balance	35,99,04

6. माल और सेवा कर मुआवजा निधि :–

6. Goods & Services Tax Compensation Fund:-

माल और सेवा कर (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम 2017 में प्रावधान है कि राज्यों को संविधान (एक सौ एकवें संशोधन) अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसरण में माल और सेवा कर के कार्यान्वयन के कारण होने वाले राजस्व के नुकसान के लिए मुआवजा दिया जाएगा।

The Goods & Services Tax (Compensation to States) Act 2017, provides that compensation to the States will be made for the loss of Revenue arising on account of implementation of Goods & Services Tax in pursuance of the provisions of the Constitution (One Hundred and First Amendment) Act, 2016.

2022–23 के दौरान माल और सेवा कर मुआवजा निधि का लेखा इस प्रकार था :–

Account of Goods & Services Tax Compensation Fund for 2022-23 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	16036,00,02
प्राप्तियां	Receipts	163506,29,00
अदायगियां	Disbursements	163167,79,50
अंतशेष	Closing Balance	16374,49,52